श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष।

निग/3958/PBR-15

गिरीश कुमार पिता गिरधारीलाल शारडा,
निवासी–19, गुमास्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.) — **प्रार्थी**

विरूद्ध

1. पूनम पति संजय गुप्ता,
   निवासी–13/1, महू नाका, इन्दौर (म.प्र.)

2. सुनीता पति राजेश गुप्ता,
   निवासी–13/1, महू नाका, इन्दौर (म.प्र.)

3. मध्य प्रदेश शासन तर्फे
   जिलाधीश जिला इन्दौर (म.प्र.)

4. गिरधारीलाल पिता जगन्नाथ शारडा,
   निवासी–19, गुमास्ता नगर, इन्दौर (म.प्र.) — **प्रतिप्रार्थीगण**

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत

प्रार्थी, श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर व्दारा राजस्व द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 47/2015–16/अपील में दिनांक 18/11/2016 को पारित आदेश जिसके व्दारा प्रार्थी के स्थगन आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 52 म. प्र.भू राजस्व संहिता को निरस्त किया गया, से दुःखी एवं असंतुष्ट होकर यह आवेदन अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत करता है कि :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3958–पीबीआर / 15 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–1–2016	आवेदक की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें स्थगन बढ़ाये जाने के बिन्दु पर सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18–11–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र को निरस्त किया है । अतः इस प्रकरण में न्यायिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे 3 माह में अपील का निराकरण करें, तब तक तहसीलदार, टप्पा बेटमा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–9–14 का क्रियान्वयन तीन माह के लिए स्थगित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	